306

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

A-403-I/17

राजस्व अपील क्रं. ...../2015

पक्षकार - श्री काशीराम बरकड़े पिता श्री प्रेमलाल बरकड़े
निवासी ग्राम डुंगरिया, ग्राम पंचायत तारवानी उदयपुर,
जिला मण्डला(म.प्र.)

विरूद्ध -

अनावेदक - 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर

2. श्री विजय सागर सोनकर पिता श्री हीरालाल सोनकर
निवासी वार्ड नं. 12 बरेला,
तहसील व जिला जबलपुर

U.S. Sonkar Adv. 24/01/2017

अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 के तहत

अपीलार्थी यह अपील न्यायालय कलेक्टर महोदय जबलपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 34/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहे हैं:-

अपील के तथ्य

1. यह कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम **कुकरीखेड़ा** प.ह.नं. **79 रा.नि.मं. खम्हरिया** तहसील व जिला जबलपुर **स्थित भूमि खसरा नं. 202/2/2,** रकवा **0.800हेक्टेयर** भूमि विक्रय करने हेतु अनुमति के लिये आवेदन श्रीमान् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष किया गया था, जिसे श्रीमान् कलेक्टर जबलपुर के आदेश में अंकित आधारों पर आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
2. यह कि माननीय कलेक्टर जबलपुर द्वारा अदम पैरवी में प्रकरण खारिज किया गया है।

अपील के आधार

1. यह कि अपीलार्थी द्वारा विक्रय की जा रही भूमि पर पर्याप्त खेती के साधन न होने के कारण तथा खेती की सुरक्षा के साधन, अनाज भण्डारण के पर्याप्त जगह तथा सिंचाई के साधन न होने के कारण उक्त भूमि पर खेती करने से लागत के अनुपात में उपज की पैदावार नहीं होती है।
2. यह कि इस भूमि के विक्रय का प्रस्ताव आवेदक द्वारा अपने स्वजातीय वर्गीय इच्छुक क्रेता से भी किया, परन्तु किसी के द्वारा इस भूमि को क्रय करने की इच्छा नहीं की गई है।
3. यह कि उक्त भूमि श्री विजय सागर सोनकर पिता श्री हीरालाल सोनकर निवासी वार्ड नं. 12 बरेला, तहसील व जिला जबलपुर द्वारा क्रय किये जाने का अनुबंध किया गया

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - अपील 403-एक/17 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-1-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-1-17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 21-11-16 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3- प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने स्वामित्व एवं मालिकाना हक्क की ग्राम कुकरीखेड़ा प.ह.नं. 79 रा.नि. मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 202/2/2 रकबा 0.800 हैक्टर गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक - 2 को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि	

निग0- 403-I/17

काशीराम बरकड़े विरूद्ध विजय सागर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अपीलार्थी की स्वअर्जित भूमि है शासन से प्राप्त भूमि नहीं है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास आवेदित भूमि के अतिरिक्त विभिन्न ग्रामों में 4.240 हैक्टर भूमि शेष बच रही है जो उसके जीवन के लिए पर्याप्त है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि क्रेता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-11-16 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके स्वामित्व की ग्राम कुकरीखेड़ा प.ह.नं. 79 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 202/2/2 रकबा 0.800 हैक्टर भूमि को गैर आदिम जनजाति के सदस्य प्रत्यर्थी क्रमांक 2 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । अपील तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर	